झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

द्वादश–सत्र

वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः– 27अग्रहायण, 1935(श0) / 18 दिसम्बर, 2013(ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
33–	अ0सू0–15	श्री प्रदीप यादव	अपूर्ण योजनाओं का कार्यन्वयन	पेयजल एवं स्वच्छता	10.12.13
34–	अ0सू0–18	श्री दिपक बिरूआ	ओभरब्रिज का निर्माण	पथ निर्माण	12.12.13
35–	अ0स0–10	*क- श्री रामचन्द्र सहिस	जुगसलाई फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण	पथ निर्माण	10.12.13
36–	अ0सू0–06	डॉ0 सरफराज अहमद	विभागीय इंजीनियर एवं एजेंसी पर कार्रवाई	ग्रामीण कार्य	07.12.13
37–	अ0सू0–11	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	दोषी पदा0 पर कार्रवाई	पेयजल एवं स्व्च्छता	10.12.13
38–	अ0सू0–14	श्री मथुरा प्र0 महतो	प्रोन्नति रद्द करने के संबंध में	पथ निर्माण	10.12.13
39–	अ0सू0–04–	श्री बंधू तिर्की	सर्वेसूची की भारत सरकार से अनुशंसा	ग्रामीण विकास	06.12.13
40–	अ0सू0–05	*ख- श्री सावना लकड़ा	अधूरे पूल का निर्माण	ग्रामीण कार्य	07.12.13
41–	अ0सू0–08	श्री ग्लेन ज्योसेफ गॉलस्टन	पथ का स्थानांतरण	पथ निर्माण	09.12.13
42–	अ0सू0–01	श्री विनोद कु0 सिंह	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	ग्रामीण विकास	06.12.13
43–	अ0सू0–12	श्री नवीन जयसवाल	चौक पर ओवरब्रिज निर्माण	पथ निर्माण	10.12.13
44–	अ0सू0–02	श्री सौरभ नारायण सिंह	हवाई अड्डे का निर्माण	सिविल विमानन	06.12.13

क्0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.	05.	06.
45-	अ0सू0-17	श्री जर्नादन पासवान	सड़क का निमार्ण	पथ निर्माण	12.12.13
46-	अ0सू0-03	श्री सौरभ नारायण सिंह	जलापूर्ति कार्य के संबंध में	नगर विकास	06.12.13
47-	अ0सू0-19	श्री गोपाल कृष्ण पातर	सारजमडीह में जलापूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता	12.12.13
48-	अ0सू0-09	श्री रघुवर दास	पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में	नगर विकास	09.12.13
49-	अ0सू0-20	श्री गोपाल कृष्ण पातर	जलापूर्ति चालू करने के संबंध में।	पेयजल एवं स्वच्छता	12.12.13
50-	अ0सू0-16	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	दुकानों का आवंटन	नगर विकास	11.12.13
51-	अ0सू0-13	श्री नवीन जयसवाल	जल मीनारों का निर्माण	पेयजल एवं स्वच्छता	10.12.13
52-	अ0सू0-07	श्री ग्लेन ज्योसेफ गॉलस्टन	पंचायतो को दायित्व सौपना।	पंचायती राज	09.12.13

नोटः-*क- नगर विकास विभाग के पत्रांक-4856,दिनांकः-11.12.13 द्वारा पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित ।

***ख-** ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-7034,दिनांक-09.12.13 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानांतरित।

रॉची,
दिनांक-18.12.2013(ई0)

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञापांकः- 636 /वि0स0,रॉची,दिनांकः-.....16....दिसम्बर,2013ई0।

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/13

(हरेन्द्र कुमार साह),
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञापांकः- 636 /वि0स0,रॉची,दिनांकः-.....16.....दिसम्बर,2013ई0।

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशःमाननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/13

(हरेन्द्र कुमार साह),
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

(33)

माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–15 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		**श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड** द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2006–2014 तक 257 स्वीकृत योजनाओं में 215 का कार्य पूर्ण एवं 42 योजना अब तक अधूरी है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा वर्ष 2006 से अबतक कुल 216 अद्द ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसमें 177 अद्द का कार्य पूर्ण एवं 39 अद्द अपूर्ण है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त एक भी योजना से आमजनों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है ?	अस्वीकारात्मक है। कंडिका–1 में अंकित 177 अद्द चालू योजनाओं से आमजनों को लाभ मिल रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब अपूर्ण योजनाओं को पूरा कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अपूर्ण 39 अद्द ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक–अ0सू0–08/13- 5285 /रॉची, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक 562 दिनांक 10.12.2013 के क्रम में 200प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

16/12/13

(34)

मा0, स0वि0स0, श्री दीपक बिरूआ द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 1989 में शुरु किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रोजाना 100 से 110 ट्रेनें गुजरती है, जिसमें एक ट्रेन के गुजरने में 7 से 10 मिनट लगता है ;	इस आशय की सूचना नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि 24 वर्षों के बाद भी ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से रोजाना इस क्रासिंग पर लोगों के सैकड़ों घंटे समय बर्बाद होते है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन समस्याओं को देखते हुए लोकहित में ओवरब्रिज निर्माण करने का विचार रखती है, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संदर्भित रेलवे ओवरब्रीज की स्वीकृति हेतु DPR भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में समर्पित है एवं स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–12 / 2013 13072(s) राँची / दिनांक : 17/12/13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 603 दिनांक 12.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

17/12/13
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–12 / 2013 13072(s) राँची / दिनांक : 17/12/13

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

17/12/13
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

35

मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र साहिस द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 -- 10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज नहीं बनने के कारण हमेशा ट्राफिक जाम रहता है तथा दुर्घटनाएँ घटती रहती है; 2. क्या यह बात सही है कि जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज निर्माण हेतु आम जनता वर्षो से मांग करती आ रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज निर्माण पास करने में अनियमितता कराना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	विषयगत ROB(Railway Over Bridge) का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा स्वीकृत है तथा रेलवे के वर्ष 2013 – 14 के वर्क प्रोग्राम में सम्मिलित है। इस ROB का निर्माण कार्य रेलवे एवं राज्य सरकार के बीच 50 – 50 Cost Sharing के आधार पर किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा In Principal Approval विभागीय पत्र सं0 6441(एस) दिनांक 26.09.2011 के द्वारा रेलवे को संसूचित की गई है। रेलवे से प्राप्त सूचना अनुसार विषयगत ROB का General Arrangement Drawing (GAD) रेलवे के सक्षम स्तर से Finalize किया जा रहा है, जिसे विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुमोदनोपरांत रेलवे द्वारा विस्तृत प्राक्कलन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर ही उसके आधार पर विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा सकती है एवं तदनुरुप राज्यांश रेलवे को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–10/2013 13055(s) राँची/दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 541 दिनांक 10.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

16/12

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–10/2013 13055(s) राँची/दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(36)

श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.13 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–06

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 13448 कि0मी0 सड़क का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत वर्ष 2012 तक होना था जिसके विरूद्ध अबतक 7896 कि0मी0 सड़क ही बन पाई है।	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत 17352 कि0मी0 कार्य करने का लक्ष्य था। जिसके विरूद्ध 17 हजार कि0मी0 पथ स्वीकृत है। माह नवम्बर, 13 तक 9083 कि0मी0 तक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति में है।
2. क्या यह बात सही है कि इस योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़क की गुणवत्ता की जाँच नेशनल क्वालिटी मॉनिटर टीम (एन0क्यू0एम0) के द्वारा की जाती है, जिसने अपने जाँच प्रतिवेदन में बनी हुई सड़क की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया है।	अस्वीकारात्मक। पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत बननी वाली सड़कों के गुणवत्ता जाँच त्रिस्तरीय है। तीसरे स्तर पर भारत सरकार द्वारा जाँच की जाती है। विगत तीन वर्षों में 380 योजनाओं की जाँच एन0क्यू0एम0 द्वारा की गई है। जिसमें 93 योाजनाऐं असंतोषजनक पायी गयी है। असंतोषजनक योजनाऐं के कार्य का सुधार करके एक्सन टेकेन रिपोर्ट (ए0टी0आर0) एन0आर0आर0डी0ए0 को भेजा जाता है एवं एन0आर0आर0डी0ए0 से सहमति प्राप्त होने पर असंतोषजनक कार्यों से हटा कर संतोषजनक किया जाता रहा है। यह एक दैनन्दिन प्रक्रिया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धीमी गति से सड़क निर्माण एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार सड़क निर्माण नहीं कराने वाले विभागीय इंजीरियनर एवं ऐजींसी पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	विधि व्यवस्था के चलते योजनाऐं समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा है फिर भी विलंब से कार्य करने वाले 94 संवेदकों को आगे का कार्य आवंटन हेतु डीबार किया गया है एवं 5 संवेदकों को काली सूची में डाला गया है। इसी क्रम में कई अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1209/13 ग्रा0का0वि0 3305 राँची/दिनांक– 16-12-13

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–320, दिनांक–07.12.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1209/13 ग्रा0का0वि0 3305 राँची/दिनांक– 16-12-13

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.13
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1209/13 ग्रा0का0वि0 3305 राँची/दिनांक– 16-12-13

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.13
सरकार के संयुक्त सचिव।

(37)

माननीय विधायक श्री निर्भय कुमार शाहावादी, स0 वि0 स0 से प्राप्त दिनांक 18.12.13 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11.

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता–सह कार्यकारी निदेशक का कार्यालय राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में अनुबंध पर नियुक्त 10 (दस) कर्मी वर्ष 2010 से अबतक केन्द्रीय एवं राज्य योजना मद की राशि से 20 लाख रू0 की निकासी कर हवाई यात्रा की है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार हवाई यात्रा मद में 11.28 लाख रू0 व्यय किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कर्मी हवाई यात्रा की अहर्ता नहीं रखते हैं ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एक निबंधित सोसाईटी है। इसकी नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत कार्यहित में हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।
2	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मामले की गंभीरता से जॉच करा कर दोषी पदाधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के आलोक में जॉच की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड़ सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/वि0स0प्र0–921/13– 5287 दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–546 दिनांक 10.12.13 के क्रम में उत्तर की 200 प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/13

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

16/12/13

माननीय, स0वि0स0, श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा दिनांक–18.12.13 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 1. क्या यह बात सही है कि ए0एम0आई0ई0 अथवा समकक्ष डिग्रीधारी अर्हता प्राप्त विभाग में कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक–01.04. 2013 की यथास्थिति में अनारक्षित वर्ग में 10 तथा आरक्षित वर्ग में 12 अर्थात कुल 22 पदों के रिक्ति उपलब्ध थे ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–01.04. 2013 की यथास्थिति में अनारक्षित वर्ग में 14 तथा आरक्षित वर्ग में 12 अर्थात् कुल– 26 पदों के रिक्तियाँ उपलब्ध थी।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग की अधिसूचना संख्या–2120(एस) दिनांक–13.04.2011 द्वारा अनारक्षित वर्ग में अनुमान्य कोटे से अधिक सामान्य, कोटि के वैसे कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता का प्रभारी प्रोन्नति प्रदान कर उच्चतर पद का प्रभार दे दिया गया जिन्होंने वैसे संस्थान से डिग्री प्राप्त किया है जिन्हें विश्वविद्यालय से सांध्यकालीन पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति ही नहीं थी ;	अस्वीकारात्मक । विभागीय आदेश संख्या–7391(एस) दिनांक–20.12.10 द्वारा ए0एम0आइ0 ई0 अथवा समकक्ष योग्यताधारी कनीय अभियंताओं के निर्गत वरीयता सूची में अंकित 30 सामान्य कोटि के कनीय अभियंताओं में 22 कनीय अभियंताओं को उक्त रिक्तियों के नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जाने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत् कार्यकारी सहायक अभियंता के रूप में अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया गया । उक्त वरीयता सूची में मात्र सामान्य कोटि के ही कनीय अभियंता हैं । वरीयता का प्रकाशन उनके द्वारा धारित योग्यता तथा संबंधित संस्थानों की वैधता के समीक्षोपरांत की गई है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार दिनांक–13.04.2011 को प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना को निर्गत तिथि से रद्द करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, रांची

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–01–विविध–68/2013 13073(S) **रांची/ दिनांक :–** 17/12/13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची के ज्ञापांक – 560 दिनांक–10.12.13 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर के 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-- प0नि0वि0--01--विविध--68 / 2013 13073(S) रांची / दिनांक :-- 17/12/13

प्रतिलिपि :-- उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 17/12/13

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(39)

श्री बंधु तिर्की, मा0 स0 वि0 सभा द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 –04

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री बंधु तिर्की, मा0 स0 वि0 सभा	उत्तरदाता – श्री चन्द्रशेखर दूबे, माननीय मंत्री, ग्रा0 वि0 वि0
1	क्या यह बात सही है कि गरीबी रेखा के अन्तर्गत (बी0पी0एल0) सूची में छूटे लाभुकों का वर्ष 2005 में सर्वे कर 11 लाख 35 हजार लाभुकों का चयन किया गया तथा जिलावार सूची प्रकाशित कर स्वीकृति के लिए योजना आयोग भारत सरकार को भेजा गया,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में बी0पी0एल0 सर्वे 2002–07 की सूची का पुनरीक्षण सर्वे कराया गया था। वर्ष 2010 –11 में भारत सरकार से गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने हेतु जो अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ था उसके आलोक में उन परिवारो को अनाज उपलब्ध कराने मात्र के लिए 861978 परिवार को औपबंधिक रूप से बी0पी0एल0 सूची में शामिल किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि सर्वे कर बी0पी0एल0 सूची में छूटे 11 लाख 35 हजार लाभुकों की सूची की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार में अब तक लम्बित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्र सं0–9253 (अनु0) दिनांक 19.12.2012 द्वारा आठ लाख इकसठ हजार नौ सौ अठहत्तर बी0पी0एल0 परिवारों की सूची अपर सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरीबी रेखा अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची में छूटे 11 लाख 35 हजार लाभूकों सर्वे सूची की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से अनुशंसा कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नही तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कार्य कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, गणना के उपरान्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये सूचकांकों के आधार पर बी0पी0एल0 परिवारों को चिन्हित किया जायेगा। अतः औपबंधिक रूप से बी0पी0एल0 सूची में शामिल परिवारो की स्वीकृति हेतु अनुशंसा योजना आयोग भारत सरकार से किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 7188 दिनांक 16·12·13

08-116/13

प्रतिलिपि :– श्री बंधु तिर्की, मा0 स0 वि0 सभा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 273 दिनांक 06.12.2013 के क्रम में (10 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

40

श्री सावना लकड़ा, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या ग्राम अ0सू0–05

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सावना लकड़ा, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखण्ड के बिनोरबेड़ा (होरहाप) एवं डुमरटोली के बीच राढू नदी पर एक पुल निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत सीमित बजट उपबंध रहने के कारण इस योजना के तहत् प्रश्नांकित अधूरे पुल का निर्माण कार्य की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 368/2013/ग्रा0का0 3315 राँची, दिनांक : 16-12-13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0 317 वि0स0, राँची, दिनांक 07.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 368/2013/ग्रा0का0 3315 राँची, दिनांक : 16-12-13

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/13

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 368/2013/ग्रा0का0 3315 राँची, दिनांक : 16-12-13

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/13

सरकार के उप सचिव

41

मा0, स0वि0स0, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्व का प्रथम एंगलों – इंडियन ग्राम है तथा यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ कई ख्याति प्राप्त आवासीय विद्यालय थाना एवं रेलवे स्टेशन भी है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत चामा मैक्लुस्कीगंज से लातेहार जिला में दामोदर नदी पर अवस्थित पुल को जोड़नेवाली पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन आता है ; 3. क्या यह बात सही है कि डोभी जी0टी0 रोड से चुनरा होकर राँची जानेवाली वाहन बालुमाथ से मैक्लुस्कीगंज चामा होकर चलती है, जिसकी वजह से राँची से डोभी की दूरी 40 कि0मी0 कम है ;	ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित हैं।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड – 2 में वर्णित उक्त पथ को पी0डब्लू0डी0 पथ में स्थानांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर संदर्भित पथ के पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण एवं इसके निर्माण के बिन्दु पर आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–07 / 2013 1305 4 (S) राँची / दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 446 दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

16/12

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–07 / 2013 13054(5) राँची / दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

42

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 18.12.2013 को सदन में उठाये जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 – 1 पर उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न–कर्ता – विनोद कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री चन्द्रशेखर दुबे, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा के तहत् दैनिक मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनरेगा के तहत भी दैनिक मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर तक वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	MGNREG Act के Section - 6 के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी दर तय की जाती है। वर्तमान में मनरेगा योजनाओं के अन्तर्गत् कार्यरत अकुशल श्रमिकों को दिनांक 01.4.2013 के प्रभाव से राशि रूपये 138.00 मात्र प्रतिदिन के दर से भुगतान की जा रही है। विभागीय पत्रांक – 5794 (अनु0) दिनांक 01.10.2013 एवं स्मार पत्र संख्या – 7076 (अनु0) दिनांक 11.12.2013 के द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 4–5003 (वि0 स0)/2013/ग्रा0 वि0 – 7183 राँची, दिनांक 16·12·13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 272, दिनांक 6.12.2013 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16·12·13
(गोरखनाथ राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 4–5003 (वि0 स0)/2013/ग्रा0 वि0 – 7183 राँची, दिनांक 16·12·13

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16·12·13
सरकार के अवर सचिव।

43

मा0, स0वि0स0, श्री नवीन जयसवाल द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि रिंग रोड (राँची शहर का) रातू रोड से काठीटांड़ चौक के रास्ते काठीटांड़ के समीप एन0एच0 – 75 से मिलता है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि रिंग रोड एवं एन0एच0 – 75 की मिलन स्थली काठीटांड़ में आये दिन दुर्घटना के कारण लोगों की जाने जाते रहती है ;	इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त उद्घृत चौक पर ओवरब्रीज का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	रिंग रोड खण्ड – VII(काठीटांड एन0एच0 – 75 से करमा एन0एच0 – 33 तक) के अवशेष कार्य के लिए निर्मित डी0पी0आर0 के प्रावधान के अनुसार उक्त क्रासिंग पर Level Junction निर्माण का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–08 / 2013 13036(S) राँची / दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 542 दिनांक 10.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–08 / 2013 13036(S) राँची / दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(५५)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक-18.12.2013 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 की उत्तर सामग्री :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ए0ए0आई0 के प्रस्तावित हवाई अड्डों में हजारीबाग में हवाई अड्डा सम्मिलित है ?	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि हवाई अड्डे के लिए हजारीबाग में अधिग्रहित भूमि अपर्याप्त है, तथा हवाई अड्डा निर्माण के लिए और भूमि की आवश्यकता है ?	स्वीकारात्मक ।
3.	यह उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आवश्यक अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा भुगतान के लिये आवश्यक कार्रवाई के साथ हवाई अड्डे का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली (AAI) के तकनीकी टीम द्वारा दिनांक-22.08.2013 को हजारीबाग हवाई पट्टी का स्थल सर्वेक्षण कर लिया गया है लेकिन अभी तक तकनीकी टीम द्वारा Line and Length का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है । अतः अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुल कितनी अतिरिक्त भूमि की अधिग्रहण की आवश्यकता होगी । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(सज्जल चक्रवर्ती)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
नागर विमानन विभाग,
झारखण्ड, राँची

(45)

मा0, स0वि0स0, श्री जनार्दन पासवान द्वारा दिनांक 18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड हंटरगंज, प्रतापपुर, कुंदा, तावालौंग एवं सिमरिया को जोड़ने वाली एक मात्र सड़क ग्राम – जोरी से बगरा मोड़ तक अत्यंत जर्जर अवस्था में है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित प्रखण्ड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण तथा वर्णित पथ जर्जर होने के कारण पुलिस प्रशासन एवं आम जनता के आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में खण्ड – 1 में वर्णित सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	जोरी से बगरा भाया प्रतापपुर, कुंदा, लावालौंग पथ का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग, चतरा द्वारा किया गया है। वर्त्तमान में वर्णित पथ के DPR निर्माण का कार्य SHAJ के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–11/2013 13037 राँची/दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 602 दिनांक 12.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

16/12/13
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–11/2013 13037(1) राँची/दिनांक : 16.12.13

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/12/13
(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(46)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त दिनांक–18.12.13 को पूछा जाने वाला प्रश्न सख्या अल्पसूचित–03 का उत्तरः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि विगत वित्तीय वर्षों में हजारीबाग नगरपालिका में कन्सलटेन्ट द्वारा शहरी जलापूर्त्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें पी0एच0ई0डी0 विभाग द्वारा आपत्ति उर्ज की गयी थी, जिले के प्रखंड टाटीझरिया के ग्राम बौधा में बौधा डैम अवस्थित है,	1) उत्तर स्वीकारात्मक है।
2) क्या यह बात सही है कि परामर्शी नगरपालिका क्षेत्र का कार्य करना नहीं चाहती है,	2) उत्तर स्वीकारात्मक है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पी0एच0ई0डी0 को डी0पी0आर0 बनाने का कार्य सौंप कर जलापूर्त्ति कार्य कराना चाहती है, हाँ तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?	3) कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर परिषद् को परामर्शी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए भुगतान की गई राशि की वसूली कर कृत कार्रवाई से विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का निदेश पत्रांक–4850, दिनांक–10.12.13 द्वारा दिया गया है। सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को डी0पी0आर0 बनाने का कार्य सौंपने हेतु विचार कर रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 5 / न0वि0 / विविध / अल्पसूचित–07 / 2013 – 4891 / न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 13-12-13.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक–284 वि0स0, राँची, दिनांक–06.12.13 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

13/12/13
सरकार के उप सचिव।

(57)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		उत्तर–
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत बॉउतिया काम्हारापा से पाईप लाईन द्वारा सारजमडीह क्षेत्र में की जाने वाली जलापूर्ति विगत 20 वर्षों से बन्द है,	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति हेतु सारजमडीह क्षेत्र के ग्रामीण जनता के निमित अन्य कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है,	अस्वीकारात्मक है। (क) वर्त्तमान में सारजमडीह में कुल 96 नलकूप है, जिसमें 22 अदद नलकूप बंद है। शेष 74 अदद नलकूप चालू है। सारजमडीह की कुल आबादी 2750 है। इस प्रकार 37 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। जबकि राष्ट्रीय मानक 250 व्यक्ति पर एकचापाकल है। (ख) ग्राम सारजमडीह में एक उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया गया है जिसपर लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु कुल 13,07,708.00 रू० का प्राक्कलन तैयार किया गया है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायत समिति के द्वारा दिया जाना है, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारजमडीह क्षेत्र के लोगो को शीघ्र जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड मे वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 8/9·ज–05/13– 5284 दिनांक 16/12/13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक–604, दिनांक–12.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
16/12/13

(48)

श्री रघुवर दास, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि मेरे विधान सभा (जमशेदपुर पूर्वी) के बिरसा नगर, बागुनहातु शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 60 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाने की योजना स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष जुलाई, 2013 से लंबित है,	*1) अस्वीकारात्मक है।*
2) क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित योजना के लिए परामर्शी नियुक्ति हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पत्र देने के लिए अगस्त, 2013 में विभागीय सचिव ने आदेश दिया है।	*2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–3022 राँची, दिनांक–02.08.13 द्वारा विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर, अ0क्षे0स0, पूर्व के प्रशासनिक स्वीकृति 2867.728 लाख रू0 का भौतिक, वित्तीय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र मांगा गया है साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कराते हुए प्राक्कलन की मांग की गई है।*
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो नगर विकास विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पत्र भेजकर कब तक परामर्शी नियुक्त करके योजना पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध करान चाहती है?	*3) तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया सकेगा।*

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 5 / न0वि0 / विविध / अ0सू0–09 / 2013 -4909 / राँची, दिनांक :– 16-12-13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक–536 वि0स0, राँची, दिनांक–09.12.13 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

(मंजु [illegible] कठ)
सरकार के उप सचिव।

(49)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–18.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		**उत्तर–**
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत सलगाडीह स्थित जलमीनार से तमाड़ क्षेत्र में की जा रही जलापूर्ति लगभग विगत 10 वर्षों से ठप्प है,	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति यथाशीघ्र चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	जलापूर्ति योजना के जीर्णोद्धार हेतु परामर्शी की नियुक्ति की गई है, जिसके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं DPR तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 8/आ॰प्र॰-04/12- 5283 दिनांक 16/12/13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक–605, दिनांक–12.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.13 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर सामग्रीः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह नगर पर्षद द्वारा अक्टुबर, 2004 में शांति भवन रोड स्थित मकतपुर में 15 (पन्द्रह) दुकान निर्माण हेतु निविदा निकाली गयी थी?	1) अस्वीकारात्मक है। आम डाक द्वारा नीलामी के माध्यम से दिनांक –10.12. 2004 को अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह की अध्यक्षता में गिरिडीह नगरपालिका द्वारा 15 (पन्द्रह) दुकानों की बन्दोवस्ती की गई जिन्हें उन्हीं की राशि से बनाकर देना था। इसके लिए कोई अनुदान देय नहीं है एवं न ही कोई अनुदान प्राप्त है।
2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) में वर्णित दुकान आवंटन हेतु प्रति दुकान 01 (एक) लाख रू0 आवंटनधारियों से वसूली कर 15 लाख रू0 प्रति दुकानों की नीलामी हुई थी?	2) स्वीकारात्मक है। उच्चतम डाकवक्ता को दुकान आवंटित की गई थी।
3) क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) में वर्णित दुकानों का आवंटन अबतक लंबित है?	3) अस्वीकारात्मक है। दिनांक–10.12.2004 आम डाक के माध्यम से उच्चतम डाक वक्ता दुकानों को आवंटित कर दिया गया है।
4) यदि उपरोक्त प्रश्न खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड (i) में वर्णित दुकानों का आवंटन या वसूली राशि का भुगतान का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	4) आठ दुकान पूर्ण कर आवंटन धारी को दुकान सुपुर्द करने की सूचना दी जा चुकी है एवं शेष दुकान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। नीलामी की शर्त्तों के अनुसार आवंटीधारियों/उच्च डाक वक्ताओं से ही राशि प्राप्त कर दुकान निर्माण करना है एवं सुपुर्द करना है। दिनांक 28.11.13 को नगर पर्षद् की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में शेष राशि जमा करने का नोटिस आवंटीधारियों को दिया गया है।राशि जमा करने के उपरांत तीन माह के अन्दर शेष दुकान पूर्ण कर आवंटीधारियों को सुपुर्द कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 6/न0वि0/10–7/विधान सभा (अल्पसूचित)/2013 4921,राँची, दिनांक :– 16-12-13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–576 वि0स0, राँची, दिनांक–11.12.13 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –13 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		उत्तर–
1	क्या यह बात सही है कि विधान सभा क्षेत्र, हटिया अन्तर्गत रातू प्रखण्ड, नगडी प्रखण्ड एवं नामकुम प्रखण्ड के चन्दाघासी पंचायत में एवं काँके प्रखण्ड के सिमलिया कमडे फुटकलटोली एवं सुंडील पंचायत में पेयजलापूर्ति की गंभीर संकट व्याप्त है,	प्रश्न अस्वीकारात्मक है। रातू प्रखण्ड की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणनानुसार 76513 है, और चालू चापाकलों की सं० 701 है। इसलिए रातू प्रखण्ड में 109 व्यक्तियों पर एक चापाकल उपलब्ध है। नगरी प्रखण्ड की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणनानुसार 73065 है। यहाँ 866 चापाकल कार्यरत है। इस प्रकार नगड़ी प्रखण्ड में 84 लोगो पर एक चापाकल उपलब्ध है। नामकुम प्रखण्ड के चन्दाघासी पंचायत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणानुसार 6886 है। कुल चालू चापाकलों की सं० 82 है। इस प्रकार 84 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। काँके प्रखण्ड के सिमलिया पंचायत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणानुसार 5804 है। यहाँ 57 अदद् चापाकल चालू है। इसलिए इस पंचायत में 102 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। कमड़ें पंचायत की कुल जनसंख्या 5765 है। यहाँ 54 अदद् चापाकल चालू है। इसलिए इस पंचायत में 107 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। फुटकटोली की कुल जनसंख्या 5524 है। यहाँ कुल 69 अदद् चापाकल चालू है। इसलिए इस पंचायत में 80 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। सुंडोल पंचायत में कुल जनसंख्या 5647 है। यहाँ कुल 62 अदद् चापाकल चालू है। इसलिए इस पंचायत में 91 व्यक्ति पर एक चापाकल उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 250 व्यक्तियों पर एक चापाकल होना चाहिए जबकि इस अनुपात से अधिक संख्या में चापाकल उपलब्ध है। पेयजल की कोई समस्या नहीं है।
2	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों एवं पंचायतों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल मीनारों का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 8/अ·5–07/13– 5239 दिनांक 13/12/13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक–561, दिनांक–10.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
13/12/13